कार्यालय वृत्ताधिकारी वृत्त खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांक– 116 दिनांक 09.01.2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला झालावाड़

विषयः– परिवाद द्वारा ज्ञानेश कुमार निवासी खातीपुरा वार्ड नम्बर 14 हेरिटेज जयपुर की जाँच रिपोर्ट पेश करने बाबत्।

प्रसंगः– राजस्थान सम्पर्क पोर्टल हेल्पलाईन के परिवाद क्रमांक 01210679246033 दिनांक 09.01.2021 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक परिवाद के क्रम में निवेदन है कि प्रार्थी श्री राकेश पुत्र रामप्रसाद राठौर जाति तेली उम्र 28 साल निवासी बाघेर थाना सारोला ने उप. थाना सारोलाकंलां होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस समय आशय का पेस किया की मैं राकेश पुत्र रामप्रसाद जाति तेली उम्र 28 साल निवासी बाघेर का रहने वाला हु। मै नरेगा मैं मेट का काम करता हु संजू बाई पत्नि अजय भील निवासी नया गांव की नरेगा मे मजदुरी करती हैं। जिससे मेरी अच्छी जान पहचान हैं। हम दोनो के करीब 1 साल से प्रेम संबंध है जो चोरी छीपे चल रहे हैं। मैंने संजू बाई को 5–7 रोज पहले मोबाईल दिया था। जिससे वह मेरे से बात करती थी। जिसका पता उसके पति अजय को लग गया। दिनांक 24 व 25. 12.2020 को अजय ने मेरे फोन किया बात नही की व काट दिया। फिर आज रात को 1.22 ए एम पर फोन किया गाली गलोच की आज सवेरे फोन किया। मैंने कहा की मैं मेरा गुनाह कबुल करता हु। उसने कहा तुने मोबाईल क्यो दिया तो मैंने कहा कि मेरे से ऐसी गलती नही होगी। फिर मैंने मेरे मित्र रामबिलास भील से कहा कि तु अजय को समझा दे बैठ के बात कर लेगे। मुझे रामबिलास ने श्रीलाल सरपंच के ढाबे पर आज सुबह 7,7.30 बजे करीब बुलाया। वहा रामबिलास, राजु भील, अजय भील मिले। वहां सत्यनारायण भील भी आ गया। तीनो ने मेरे साथ हाथापाई की। रामबिलास बचाने लगा तो उसकी नही मानी। मेरे सारे कपडे फाड दिये व मुझे नंगा कर दिया मैं छुडाकर खेतो मै भागा तो और भी कई लोग रामलाल भील, बालचन्द भील, राजु भील, भरतराज भील वगैरा आ गये। मुझे घेर कर पकड लिया। मेरे हाथ पीछे बांध दिये। मेरे साथ बेल्ट व लकडी लात– घुसो से मारपीट की। मुझे नंगे को गांव ले आये मेरा गांव मे नंगे का जुलुस निकाला। हरिगढ चौराहा पर रोककर मेरे ऊपर तेल ¼,क ½ डाला व मेरे साथ मारपीट की मेरे जुतो की माला डाल दी तथा मेरे मोबाईल से नंगे के फोटु खिंच लिये। फिर भीमसागर तिराहे पर ले गये इतने मैं पुलिस चोकी के जवान आ गये। जिन्होने बिच बचाव किया। इन लोगो ने मेरे पिताजी बीच बचाव करने आये तो उनके साथ भी मारपीट की पुलिस के जवान मेरा बीच बचाव कर मुझे कपडे पहना कर चोकी पर ले गये जहां से मैं सारोला आ गया। मेरे मोबाईल नं. 8094928375 है तथा मैंने जो फोन संजु बाई को दिया था उसके मोबाईल नं, 9636406660 हैं। रिपोर्ट करता हु कार्यवाही की जावे। इत्यादी प्रार्थना पत्र पर मजमुन रिपोर्ट पर मुकदमा न 324/20 अपराध धारा 294,143,323,342,365,500 आई.पी. सी. व धारा 67¼क½ IT ACT का थाना सारोला कलां पर दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान बयान परिवादी श्री राकेश व गवाहान रामप्रसाद व भरोसी बाई के लेखबद्ध किये गये, प्रकरण हाजा के फरियादी श्री राकेश कुमार राठौड की निशानदेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका कसीद किया जाकर शामील पत्रावली किया गया। प्रकरण हाजा में परिवादी श्री राकेश कुमार की एम.एल.सी. रिपोर्ट सी.एच.सी. सारोला कलां से प्राप्त की जाकर एम.एल.सी. रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो श्रीमान एम.ओ. साहब द्वारा मजरूब राकेश कुमार राठौड के सभी चोट साधारण प्रकृति आना तहरीर फरमाया। एम.एल.सी. रिपोर्ट को बाद अवलोकन शामील पत्रावली किया गया। अनुसंधान में पाया की परिवादी श्री राकेश कुमार राठौड को मुल्जित अजय बाबु पुत्र कन्हैयालाल भील द्वारा अपने साथीगण 1. भरतराज पुत्र कन्हैया लाल जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 2. राजाराम उर्फ राजु पुत्र रामचन्द्र जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 3. रामदयाल पुत्र तुलछीराम जाति भील नवासी बाघेर थाना सारोला कलां 4. बालचन्द पुत्र छोटुलाल जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 5. रामलाल पुत्र किशनलाल जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 6. सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 7. पूरण मल पुत्र रामचरण जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 8. राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र श्री भैरूलाल जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां के साथ मिलकर परिवादी राकेश कुमार का अकस्मात अपहरण कर बंधक बनाकर अर्द्ध नग्न अवस्था में कर मारपीट करना व अर्द्ध नग्न अवस्था में गांव में जुलूस निकालना एवं मुल्जिम राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र श्री भैरूलाल जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां द्वारा परिवादी का गांव में अर्द्ध नग्न अवस्था जुलुस निकालते समय विड़ियो क्लिप बनाकर वाटसटप ग्रुप 2 dil.1jaan ग्रुप में दिनांक 27.12.2020 को भेजना अनुसंधान में आया है। जिस पर 2 dil.1jaan ग्रुप के एडमिन सुरेन्द्र पुत्र बालचन्द जाति भील निवासी बाघेर को तलब किया जाकर प्रकरण हाजा में अनुधांन किया गया बयान 161 जा.फौ. लेखबद्ध किये जाकर शामील पत्रावली किये गये। मुल्जिम राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र श्री भैरूलाल जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां को तलब किया जाकर प्रकरण

हाजा में अनुसंधान किया गया। राजेन्द्र से पूछताछ पर बताया की मैंने राकेश राठौड की अर्द्धनग्न अवस्था में विडियो क्लिप मेरे मोबाईल से बनाया था तथा मैंने मेरे मोबाईल से वह विडियो वाटसटप ग्रुप 2 dil.1jaan में समय करीब 09.15–09.16 ए.एम. पर भेज दिया था। ग्रुप में कई सदस्य जुडे हुयें थे ग्रुप एडमिन सुरेन्द्र भील निवासी बाघेर है। फिर मेरे एकदम लोगो के फोन आने पर मैंने उस विडियो को मेरे मोबाईल से डिलिट कर दिया था। विस्तृत पूछताछ रिपोर्ट तैयार की जाकर शामील पत्रावली की गई। राजेन्द्र उर्फ राजू के मोबाईल को देखा गया तो राकेश राठौड के अर्द्धनग्न अवस्था के विडियो क्लिप पुरा डिलिट कर रखा है। वाटसटप ग्रुप 2 dil.1jaan में भेजकर के वहां से भी डिलिट कर रखा है। मुल्जिम राजेन्द्र उर्फ राजू का मोबाईल बतौर वजह सबूत जप्त किया जाकर शील्ड मोहर किया जाकर मार्क A दिया गया फर्द जप्ति मुर्तिब की जाकर शामील पत्रावली की गई। परिवादी राकेश कुमार राठौड के अर्द्ध नग्न विडियों जो राजेन्द्र उर्फ राजू द्वारा वाटसटप ग्रुप 2 dil.1jaan में भेजा गया था उसको कम्प्यूटर की मदद से निकालकर उक्त विडियों की सी.डी. एवं अर्द्ध नग्न विडियो की स्क्रिन शॉट लिये जाकर ग्रुप एडमिन की मौजूदगी में हार्ड प्रति प्राप्त कर जर्ये फर्द जप्त की जाकर एक लिफाफे में रखकर शामील पत्रावली की गई। वाटसअप ग्रुप 2 dil.1jaan के एडमिन के मोबाईल को प्रकरण में बतौर वजह सबूत अनुसंधान में आवश्यकता होने से जर्ये फर्द जप्त किया जाकर फर्द जप्ति शामील पत्रावली की गई।

अनुसधान से मुल्जिमान 1. भरतराज पुत्र कन्हैया लाल जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 2. राजाराम उर्फ राजु पुत्र रामचन्द्र जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 3. रामदयाल पुत्र तुलछीराम जाति भील नवासी बाघेर थाना सारोला कलां 4. बालचन्द पुत्र छोटुलाल जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 5. रामलाल पुत्र किशनलाल जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 6. सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 7. पूरण मल पुत्र रामचरण जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 8. राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र श्री भैरूलाल जाति भील निवासी बाघेर 09. अजय बाबू जाति भील निवासी बाघेर थाना सारोला कलां के विरूद्ध अपराध धारा 294,143,323,342, 365,500 आई.पी.सी. व धारा 67(क) IT ACT का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिमान 1 भरतराज, 2 राजाराम उर्फ राजू, 3 रामदयाल, 4 बालचन्द, 5 रामलाल, 6 सत्यनारायण 7 पूरणमल 8 राजेन्द्र उर्फ राजू को डिटेन किया जाकर प्रकरण हाजा में तफ्तीश की गई। अनुसंधान से 1. भरतराज पुत्र कन्हैया लाल जाति भील उम्र 22 साल निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 2. राजाराम उर्फ राजु पुत्र रामचन्द्र जाति भील उम्र 24 साल निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 3. रामदयाल पुत्र तुलछीराम जाति भील उम्र 32 साल नवासी बाघेर थाना सारोला कलां 4. बालचन्द पुत्र छोटुलाल जाति भील उम्र 20 साल, निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 5. रामलाल पुत्र किशनलाल जाति भील उम्र 40 साल निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 6. सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति भील उम्र 37 साल निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 7. पूरण मल पुत्र रामचरण जाति भील उम्र 31 साल निवासी बाघेर थाना सारोला कलां 8. राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र श्री भैरूलाल जाति भील उम्र 20 साल निवासी बाघेर थाना सारोला कलां के विरूद्ध अपराध धारा 294,143,323,342, 365,500 आई.पी.सी. व धारा 67(क) IT ACT प्रमाणित पाये जाने पर मुताबिक चैक लिस्ट जर्ये फर्द रूबरू गवाहान के गिरफ्तार किया जाकर हिरासत पुलिस लिया गया। मुलजिमानों को बाद अनुसंधान पेश न्यायालय किया गया।

अनुसंधान से मुलजिम अजय बाबू पुत्र कन्हैयालाल भील निवासी बाघेर के खिलाफ अनुसंधान से अपराध धारा 294,143,323,342, 365,500 आई.पी.सी. व धारा 67(क) IT ACT पृथम दृष्टया प्रमाणित है। मुलजिम अजय बाबू वक्त घटना से ही मसकन से फरार चल रहा है। जिसकी तलाश जारी है। मुलजिम अजय बाबू को शीघ्र ही डिटेन किया जाकर प्रकरण हाजा में अग्रीम अनुसंधान किया जावेगा।

जाँच रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रस्तुत है।

भवदीय

वृत्ताधिकारी
वृत्त खानपुर

पुलिस उप अधीक्षक
वृत्त खानपुर
जिला झालावाड